प्रतिवेद्य

भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय

आपराधिकअपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपीलीय संख्या 1034/2005

मैसर्स नॉर्दर्न मिनरल्स लिमिटेड और अन्य .. अपीलार्थी (ओं)

बनाम

राजस्थान सरकार और अन्य .. प्रतिवादी (ओं)

के साथ

आपराधिक अपीलीय संख्या 61/2006

कीटनाशक अधिनियम, 1968 - धारा 24(3), (4) - कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट - कीटनाशक निरीक्षक द्वारा लिए गए दूसरे नमूने का पुन: विश्लेषण - दावा - तथ्यों पर, अपीलकर्ता द्वारा निर्मित कीटनाशक के नमूने की जब्ती, एक दुकान से - उक्त कीटनाशक की निधानी आयु 10 महीने में समाप्त हो जाएगी - विश्लेषण पर उक्त नमूना गलत ब्रांड का पाया गया - अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया - अपीलकर्ताओं ने राज्य प्रयोगशाला से कीटनाशक विश्लेषक की

रिपोर्ट का खंडन करने के लिए सबूत पेश करने का इरादा दिखाया - निरीक्षक द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया एवं मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया - अपीलार्थी द्वारा संज्ञान के आदेश को निरस्त करने की मांग - उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी- अपील पर अभिनिर्धारित: जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है जिससे नमूना लिया गया था, आपत्ति उठाने का अधिकार उसे रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर ऐसा करने के अपने इरादे को इंगित करने से नियंत्रित है - हालांकि शिकायतकर्ता और/अथवा अन्य अभियुक्तों जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई पर कोई समय सीमा नहीं - तथ्यों के आधार पर, कीटनाशक निरीक्षक द्वारा प्राप्त नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट का खंडन करने के लिए नमूने का पुन: परीक्षण (केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा) प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ताओं में निहित महत्वपूर्ण अधिकार विफल हो गया, -अपीलकर्ताओं ने बिना किसी गलती के अपने अपराध को असत्य सिद्ध करने के अधिकार खो दिया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान के आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

निर्णय

जगदीश सिंह खेहर, न्यायाधीश.

<u>आपराधिक अपीलीय संख्या 1034/2005</u>

1. एक कीटनाशक निरीक्षक-सह-सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) अजमेर ने 15.10.1994 को मेसर्स जोशी कृषि एजेंसियों, व्यापारी मोहल्ला, पावर हाउस, मदनगज, किशनगढ़, राजस्थान की दुकान से डाइमेथोएट 30% ईसी (बैच संख्या 810) का नमूना जब्त किया। यह विवाद का विषय नहीं है कि कीटनाशक के उपरोक्त नमूने का निर्माण मार्च, 1994 में मैसर्स नॉर्दन मिनरल्स लिमिटेड (यहां अपीलकर्ता संख्या-1) द्वारा किया गया था। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि कीटनाशक की निधानी आयु (शेल्फ लाइफ)अगस्त, 1995 में समाप्त होने वाली थी।

2. संबंधित कीटनाशक निरीक्षक ने जब्त किए गए नमूने को राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को विश्लेषण के लिए भेज दिया। परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किए गए विश्लेषण के परिणामस्वरूप, दिनांक 13.12.1994 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें 15.10.1994 को लिए गए नमूने को गलत ब्रांड के रूप में घोषित किया गया।

3. तदनुसार दिनांक 30.12.1994 को एक कारण बताओ नोटिस इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संख्या-1 अर्थात मैसर्स नॉर्दन मिनरल्स लिमिटेड और तीन अन्य अपीलकर्ताओं को भी जारी किया गया, जिनमें से सभी अपीलकर्ता संख्या-1 के प्रबंध निदेशक/निदेशक थे। उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस और उसकी रिपोर्ट दिनांकित 13.12.1994 अपीलकर्ता संख्या-1 द्वारा प्राप्त की गई। इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का वाद है कि पूर्वोक्त कारण बताओ नोटिस की तामील केवल अपीलकर्ता संख्या-1 पर की गई थी, न कि उसके प्रबंध निदेशक और निदेशक (इसमें अपीलकर्ता संख्या-2 से 4) पर। उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता संख्या-1ने 06.01.1995को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता संख्या-1 द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब की एक प्रति इस मामले के रिकॉर्ड पर संलग्नक पी-3के रूप में उपलब्ध है। उपर्युक्त रिपोर्ट दिनांकित06.01.1995 में, मैसर्स नॉर्दर्न मिनरल्स लिमिटेड ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ निम्नलिखित पर जोर दियाः

> "आपसे नम्र निवेदन है कि हम प्रासंगिक आईएसआई विनिर्देशों के अनुसार डाइमेथोएट 30% ईसी का निर्माण कर रहे हैं और अपनी प्रयोगशाला में इसका परीक्षण करने और इसे प्रासंगिक

आईएसआई विनिर्देशों केअनुरूप पाए जाने के बाद ही बिक्री के लिए जारी कर रहे हैं। डाइमेथोएट 30% ईसी बैच संख्या 810 के निर्माण के समय, उसमें 30.6 प्रतिशत डब्ल्यू/डब्ल्यू सक्रिय घटक (ए.आई.) सामाग्री मिली, जो प्रासंगिक आईएसआई विनिर्देशों के अनुरूप थी। आपके ऊपर संदर्भित पत्र की प्राप्ति पर हमने फिर से डाइमेथोएट 30% ईसी बैच संख्या 810 का विश्लेषण किया और उसमें फिर से 29.9 प्रतिशत डब्ल्यू/डब्ल्यू सक्रिय घटक (ए.आई.) सामाग्री मिली जो प्रासंगिक आईएसआई विनिर्देशों के अनुरूप थी। इसलिए, दोनों मामलों में उपरोक्त नमूना आईएसआई के प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुरूप पाया गया है। इसलिए, आपका यह तर्क कि उक्त उत्पाद गलत ब्रांड का पाया गया है, हमें स्वीकार्य नहीं है।

इन परिस्थितियों में, हम कीटनाशक विश्लेषक,राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर की दिनांक 13.12.1994 की रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य

प्रस्तुत करने के अपने आशय को व्यक्त/अधिसूचित करते हैं।"

अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता का तर्क है, कि मैसर्स नॉर्दर्न मिनरल्स लिमिटेड द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने कीटनाशक विश्लेषक,राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर, की रिपोर्ट दिनांकित 13.12.1994 को उलट देने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने आशय को स्पष्ट रूप से इंगित किया था।

4. संयुक्त निदेशक कृषि (पादप संरक्षण) राजस्थान, जयपुर,ने कीटनाशक अधिनियम की धारा 29 (1) (ए) के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कीटनाशक निरीक्षक को अधिकृत करने के लिए अपनी मजमून सहमति 31 मई, 1995 को दी। उपरोक्त मंजूरी के अनुपालन में, कीटनाशक निरीक्षक-सह-सहायक कृषि निदेशक (मुख्यालय) अजमेर ने 13.12.1995 को न्यायिक और मुंसिफ मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), किशनगढ़ के समक्ष परिवाद दर्ज कराया। दिनांक 13.12.1995 को, उपर्युक्त मजिस्ट्रेट ने पूर्वोक्त परिवाद पर संज्ञान लिया।

5. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट), किशनगढ़, राजस्थान द्वारा संज्ञान लेते हुए पारित आदेश से असंतुष्ट

होकर, अपीलकर्ताओं ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध याचिका संख्या 250/2001 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने दिनांक 13.12.1995 के संज्ञान के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा की गई प्रार्थना को प्रतिग्रहण नहीं किया और 26.10.2004 को उपरोक्त आपराधिक विविध याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान आपराधिक अपील द्वारा से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

6. सुनवाई के दौरान, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान कीटनाशक अधिनियम, 1968,की धारा 22 और 24 की ओर आकर्षित किया (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम'कहा गया है)। इन्हें संदर्भ सुविधा के लिए यहां उद्धृत किया गया हैः

> “22 कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया
>
> (1) जहां कोई कीटनाशक निरीक्षक धारा 21 की उपधारा (1) के अनुछेद (ख) के अधीन किसी अभिलेख, पंजिका या दस्तावेज को अभिगृहीत करता है, वहां वह यथाशीघ्र किसी मजिस्ट्रेट को सूचित

करेगा और उसकी अभिरक्षा के बारे में उसका आदेश लेगा।

(2) जहां कोई कीटनाशक निरीक्षक धारा 21 की उपधारा (1) के अनुछेद (घ) के अधीन कोई कार्रवाई करता है -

(क) वह तत्परता से यह सुनिश्चित करेगा कि कीटनाशक या इसकी बिक्री, वितरण या उपयोग,धारा 18 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या नहीं,और अगर यह पता चलता है कि कीटनाशक या इसकी बिक्री, वितरण या उपयोग इस प्रकार उल्लंघन नहीं करता है, तो उक्त धारा के तहत या जैसा भी मामला हो पारित आदेश को तुरंत रद्द कर दें। ऐसी कार्रवाई करें जो जब्त खेप की वापसी के लिए आवश्यक हो;

(ख) यदि वह कीटनाशक के स्टॉक को जब्त कर लेता है, तो वह यथाशीघ्र करेगा एक मजिस्ट्रेट को सूचित करें और कब्जे के लिए उसके आदेश लें;

(ग) किसी भी अभियोजन की संस्था पर पूर्वाग्रह के बिना, यदि कथित उल्लंघन ऐसा है कि कीटनाशक

के मालिक द्वारा दोष का उपचार किया जा सकता है, तो वह इस बात से संतुष्ट होने पर कि दोष को ठीक कर दिया गया है, अपने आदेश को तुरंत रद्द कर देगा और ऐसे मामले में जहां कीटनाशक निरीक्षक ने कीटनाशी के स्टॉक को जब्त कर लिया है, तो वह यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और उसके उन्मोचन के लिए उसके आदेश प्राप्त करेगा।

(3) जहां कोई कीटनाशक निरीक्षक किसी कीटनाशक का कोई नमूना लेता है, वहां वह उसके लिए एक रसीद जारी करेगा जिसमें कहा गया है कि परीक्षण या विश्लेषण के बाद गलत ब्रांड का नहीं पाये जाने पर और कीटनाशक विश्लेषक के इस आशय की सूचना दिये जाने पर इस तरह के नमूने के उचित मूल्य का भुगतान किया जाएगा और ऐसा भुगतान किए जाने के बाद इसकी लिखित पावती की आवश्यकता होगी।

(4) जहां कीटनाशक निरीक्षक धारा 21 की उपधारा (1) के अनुछेद (घ) के तहत किसी कीटनाशक की

खेप को जब्त करता है, वहां वह निर्धारित प्रपत्र में एक रसीद देगा।

(5) जहां कोई कीटनाशक निरीक्षक परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन के लिए किसी कीटनाशक का नमूना लेता है, वहां वह उस व्यक्ति को जिससे वह लेता है उसको निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में सूचित करेगा, और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि वह जानबूझकर अनुपस्थित न हो, नमूने को तीन भागों में विभाजित करेगा, और उन पर प्रभावी रूप से मुहर लगाएगा और उपयुक्त रूप से चिन्हित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार किए गए कुछ या सभी भागों में जिन पर मुहर लगाई गई और चिह्नित किया पर अपनी मुहर और चिन्ह लगाने की अनुमति देगाः

बशर्ते कि जहां कीटनाशक छोटे आकार के कंटेनरों में बना हो, किसी नमूने को विभाजित करने के बजाय जैसा कि ऊपर कहा गया है, कीटनाशक निरीक्षक चाहे तो, और यदि कीटनाशक ऐसा हो कि वह बिगड़ सकता है या अनावृति के कारण अन्यथा क्षतिग्रस्त

हो सकता है, तो उसे उपयुक्त रूप से चिह्नित करके और जहां आवश्यक हो मुहर लगा कर उक्त तीन कंटेनरों को ले सकता है।

(6) कीटनाशक निरीक्षक नमूने के इस प्रकार से विभाजित नमूने या एक कंटेनर को, जैसा भी मामला हो, के एक हिस्से को उस व्यक्ति को लौटा देगा जिससे वह इसे लेता है और शेष को अपने पास रखेगा और उसका निस्तारण इस प्रकार करेगाः

(i) एक भाग या कंटेनर को वह तुरंत कीटनाशक विश्लेषक परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजेगा; और

(ii) दूसरा, वह उस न्यायालय के समक्ष पेश करेगा जिसके समक्ष कीटनाशक के संबंध में कार्यवाही, यदि कोई हो, संस्थित की जाती है।

24. कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट। (1) कीटनाशक विश्लेषक, जिसको धारा 22की उपधारा (6) के तहत परीक्षण या विश्लेषण के लिए किसी कीटनाशक का नमूना दिया गया है, तीस दिनों की अवधि के भीतर कीटनाशक निरीक्षक को निर्धारित प्रपत्र में एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा।

(2) कीटनाशक निरीक्षक उसकी प्राप्ति पर रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को देगा जिससे नमूना लिया गया था और दूसरी प्रति नमूने के संबंध में किसी अभियोजन में उपयोग के लिए अपने पास रखेगा।

(3) किसी कीटनाशक विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट के रूप में तात्पर्यित कोई दस्तावेज उसमें कथित तथ्यों का साक्ष्य होगा और ऐसा साक्ष्य तब तक निश्चायक होगा जब तक कि जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया था, उसने रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के अट्ठाईस दिनों के भीतर कीटनाशक निरीक्षक या उस न्यायालय के पास जिसके समक्ष नमूनों के संबंध में कोई कार्यवाही लंबित है को लिखित में अधिसूचित किया कि वह रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है।

(4) जब तक कि उस नमूने का केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में परीक्षण या विश्लेषण नहीं किया जाता है, जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (3) के अधीन कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने इरादे को अधिसूचित

किया है, तब तक न्यायालय स्वयं या शिकायतकर्ता या अभियुक्त के अनुरोध पर धारा22 की उप-धारा(6) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए कीटनाशक के नमूने को उक्त प्रयोगशाला में परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेज सकता है, (जो तीस दिन की अवधि के भीतर परीक्षण या विश्लेषण करेगा) और उसके परिणाम की लिखित रिपोर्ट निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा हस्ताक्षरित या उसके प्राधिकार के अधीन प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसी रिपोर्ट उसमे वर्णित तथ्यों के निर्णायक साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण या विश्लेषण की लागत का संदाय परिवादी या अभियुक्त द्वारा किया जाएगा, जैसा न्यायालय निदेश देगा।"

अधिनियम की धारा 22 (6) की ओर भी हमारा ध्यान दिलाया गया, जिसमें यह अधिदिष्ट है की कीटनाशक निरीक्षक नमूने के एक हिस्से को अपने पास रखे और उसे उस न्यायालय में पेश करें जिसके समक्ष संबंधित कीटनाशक के संबंध में कार्यवाही, यदि कोई हो, संस्थित की गई

है। जहाँ तक धारा 24 का संबंध है, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उप-धारा (3) से (5) पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसके तहत, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा 28 दिनों के भीतर विश्लेषक की रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं उठाई जाती है, जिससे नमूना लिया गया था, उक्त रिपोर्ट को अंतिम माना जाता है।

अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (4) के संदर्भ में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का यह स्पष्ट तर्क था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए नमूने को धारा 22 (6) के तहत अभियुक्त पुनः परीक्षण के लिए निवेदन कर सकता है, यदि अधिकारियों के आदेश पर किए गए परीक्षण की सत्यता विवादित/विवादास्पद है।

7. उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में, यह अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन था कि जब तक 13.12.1995 को विद्वत अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट), किशनगढ़, राजस्थान द्वारा मामले पर विचार किया गया, तब तक नमूने की निधानी आयु समाप्त हो चुकी थी।

इस संबंध में यह बताया गया था कि लिया गया नमूना अगस्त, 1995 में समाप्त होना था। इस प्रकार से, यह दावा किया गया कि कीटनाशक निरीक्षक द्वारा प्राप्त नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट का खंडन करने का अभियुक्त का एकमात्र अधिकार विफल हो गया। मामले की उपरोक्त

परिस्थिति में, यह निवेदन किया गया था कि अधिनियम की धारा 24 के संदर्भ में अपीलकर्ताओं को उपलब्ध बचाव का अधिकार खो जाने के बाद, इस न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपीलकर्ताओं के खिलाफ दिनांक 13.12.1995 के संज्ञान के आदेश द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दे।

8. अपनी उपरोक्त दलील को समर्थन देने के लिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने नॉर्दन मिनरल लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2010) 7 एससीसी 726 पर भरोसा जताया है,और इसमें दर्ज निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है:

> "19. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जब अभियुक्त ने कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने आशय को अधिसूचित किया था, तब यह कानूनी कल्पना कि कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट उसमें कथित तथ्यों का निर्णायक साक्ष्य होगी, अपने निर्णायक स्वरूप को खो देती है। विधायिका ने अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) और उप-धारा(4) दोनों में समान अभिव्यक्ति अर्थात रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य

प्रस्तुत करने के इरादे का उपयोग किया है, इसलिए दोनों अभिव्यक्तियों का एक ही अर्थ दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के आशय की अधिसूचना अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत अनुध्यात 'निश्चायक साक्ष्य'की श्रेणी से कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट को बाहर ले जाती है। इसके अलावा, कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट के विरोध में सबूत प्रस्तुत करने का इरादा, मजिस्ट्रेट को स्वयं या शिकायतकर्ता या अभियुक्त के अनुरोध पर केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए नमूना भेजने का अधिकार देता है।

20. अधिनियम की धारा 24 (4) में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने आशय को लिखित रूप में अधिसूचित करने वाला अभियुक्त का कार्य अभियुक्त को अधिकार देगा, और मजिस्ट्रेट को नमूने को विश्लेषण के लिए केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में भेजने की अधिकार क्षेत्र प्रदान करने

के लिए पर्याप्त होगा और यह कहना आवश्यक नहीं है कि इसका इरादा केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला से नमूने का विश्लेषण कराना है। यह सच है कि कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन आरोपी को उन आधारों का खुलासा करने और अपने बचाव को उद्घाटित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता हैऔर उससे केवल विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने इरादे को लिखित में अधिसूचित करने की अपेक्षा की जाती है। जैसे ही यह किया जाता है, रिपोर्ट का निर्णायक साक्ष्य मूल्य समाप्त हो जाता है और रिपोर्ट का वैधानिक मूल्य समाप्त हो जाता है और केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा नमूने का परीक्षण और विश्लेषण करने का वैधानिक अधिकार फलीभूत हो जाता है।

21. हमारी राय में नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1996) 11 एससीसी 613, यूनिक फार्मेड (पी) लिमिटेड (1999) 8 एससीसी 190 और गुप्ता केमिकल्स (पी) लिमिटेड (2010) 7

एससीसी 735 में इस न्यायालय का निर्णय श्री नेहरा के तर्क का समर्थन करता है। यह सच है कि पहले दो मामलों में, अभियुक्त ने यह सूचना भेजने के अलावा कि वे रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं, अभियुक्त व्यक्तियों ने विशेष रूप से केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण के लिए नमूने भेजने की मांग की है। हालांकि, निर्णय का तर्क इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता है। कानून को अधिकथित करते समय, इस न्यायालय ने केवल यह ध्यान में रखा कि अभियुक्त ने रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने इरादे को सूचित किया था जिससे उसे केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा नमूने का परीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त हुआ था। गुप्ता केमिकल्स मामले में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के बहुत करीब है। कथित मामले में, "राज्य विश्लेषक की रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, अपीलकर्ताओं ने रिपोर्ट के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए निरीक्षक को सूचना भेजी"और इस सूचना को

केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में नमूने का परीक्षण कराने के उनके इरादे के रूप में पढ़ा गया।"

22. अधिनियम की धारा 24 (3) और (4) की भाषा और उनमें अंतर्निहित उद्देश्य से और इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के तर्क से भी, हमारी राय है कि कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट के विरोध में केवल सबूत पेश करने के इरादे को अधिसूचित करने से अभियुक्त को अधिकार की प्राप्ति होती है, और न्यायालय को यह अधिकार क्षेत्र मिलता है की वह नमूने का परीक्षण कराने के लिए उसे केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में भेजे, और किसी अभियुक्त को विशिष्ट रूप से यह मांग करने की आवश्यकता नहीं है कि नमूने को केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में भेजा जाए। हमारी राय में रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का मात्र आशय परीक्षण और विश्लेषण के लिए नमूने को केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में भेजने की मांग करना है।

23. कीटनाशक निरीक्षक के समक्ष या न्यायालय के समक्ष जहां नमूनों के संबंध में कार्यवाही लंबित है,

रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने आशय को अधिसूचित करने से अधिनियम की धारा 24 (3) अभियुक्त को कीटनाशक विश्लेषक के साक्ष्य की निश्चायक प्रकृति का खंडन करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, न्यायालय को यह अधिकार है की वह स्वयं या शिकायतकर्ता या अभियुक्त के अनुरोध पर नमूनो को विश्लेषण और परीक्षण के लिए केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला को भेज सकता है।

24. जब अभियुक्त को कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट दी गई थी तब किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी, अपने आशय से आवश्यक रूप से कीटनाशक निरीक्षक को अवगत कराया जाना था, जो कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया था और इस पृष्ठभूमि में कीटनाशक निरीक्षक तुरंत शिकायत संस्थित करने और नमूना प्रस्तुत करके न्यायालय से नमूने को विश्लेषण और परीक्षण के लिए केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में भेजने का निवेदन करने के लिए बाध्य था। अपीलकर्ता ने

इसके लिए जो भी संभव था, किया। नमूने को विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में न भेजकर उसके अधिकार को विफल कर दिया गया है ।

25. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि कीटनाशकों की निधानी आयु (शेल्फ लाइफ)शिकायत दर्ज करने से पहले ही समाप्त हो गई थी। इसलिए जो स्थिति उभरती है वह यह है कि केवल निष्क्रियता के कारण कीटनाशकों के नमूने की निधानी आयु समाप्त हो गई थी और इस कारण केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा इसके परीक्षण और विश्लेषण के लिए कोई कदम उठाना संभव नहीं था। अपीलकर्ता के एक मूल्यवान अधिकार के विफल होने के बाद, हमारी राय है कि अपीलकर्ता के खिलाफ इस आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना व्यर्थ होगा और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

27. इस पर ध्यान देना दिलचस्प है कि अधिनियम की धारा 24 (3) और (4) कीटनाशक विश्लेषक और

केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला को परीक्षण और विश्लेषण करने और तीस दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए बाध्य करती है। जब रिपोर्ट के लिए 30 दिन पर्याप्त होते हैं, तो अभियुक्त से सूचना प्राप्त होने और केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में परीक्षण और विश्लेषण के लिए नमूना भेजने का आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज न करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। जिन लोगों को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें सलाह दी गई होगी कि वे तत्परता से काम करें और समय सारणी का पालन करें, ताकि निर्दोष लोगों पर मुकदमा न चले और वास्तविक अपराधी छूट न जाएं।"

9. अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए दावे के विपरीत, प्रतिवादी की ओर से यह निवेदन किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा संबंधित कीटनाशक निरीक्षक द्वारा लिए गए दूसरे नमूने के पुनर्विश्लेषण का दावा नहीं किया जा सकता। जहां तक उपर्युक्त विवाद का संबंध है, अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) और (4) के बीच एक अंतर करने की

मांग की गई थी। प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया था कि लिए गए नमूने के दूसरे विश्लेषण की मांग करने की स्वतंत्रता केवल "उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिससे नमूना लिया गया था"और आगे, यह कि उक्त स्वतंत्रता केवल तभी उपलब्ध है जब उक्त व्यक्ति, जिससे उक्त नमूना लिया गया था, "रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर"रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने आशय को लिखित रूप में सूचित करता है।

इसलिए, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, चूंकि इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता वह व्यक्ति नहीं है जिससे नमूना लिया गया था, अधिनियम की धारा 24(4)के अधिदेश के भीतर दूसरे परीक्षण की मांग नहीं कर सकते।

10. हमने प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गयी दलीलों पर विचार किया है।

11. सबसे पहले, हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है, कि नॉर्दर्न मिनरल्स लिमिटेड मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय (ऊपर), जिस पर अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होता है, और यह कि, वर्तमान अपील में की गई

प्रार्थनाओं को उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी स्थिति के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं।

12. जहां तक प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया था उसके अधिकार में भेद करने का है, जैसा कि धारा 24 (3) के तहत अधिदेश दिया गया है, हमें केवल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (4) को संदर्भित करने की आवश्यकता है जो उपरोक्त अधिकार का विस्तार प्रतिवादी और अभियुक्त तक भी करती है। सुसंगत रूप से देखने पर, इसलिए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है, जिससे नमूना लिया गया था, आपत्ति उठाने का अधिकार रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर उसके ऐसा करने के अपने आशय को इंगित करने से नियंत्रित है। तथापि, विधायिका द्वारा शिकायतकर्ता और/या अन्य अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मामले के उपर्युक्त दृष्टिकोण में, जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, हम पाते हैं कि कीटनाशक निरीक्षक द्वारा प्राप्त नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट का खंडन करने के लिए नमूने का पुनः परीक्षण (केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला से) कराने का अपीलकर्ताओं/अभियुक्त में निहित एक महत्वपूर्ण अधिकार विफल

हो गया है। अपीलकर्ताओं ने अपने अपराध को असत्य सिद्ध करने के अधिकार खो दिया है। अपीलार्थियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जब उन्होंने, बिना अपनी गलती के, बचाव का एक महत्वपूर्ण अधिकार खो दिया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच कर संतुष्ट हैं कि अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (4) के तहत, जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है, उसके अलावा किसी अन्य आरोपी को भी कीटनाशक विश्लेषक की रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है, और यदि आरोपी धारा 24 की उप-धारा (4) के तहत उपरोक्त अधिकार का लाभ उठाता है, तो उसे केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले परीक्षण या विश्लेषण का खर्च वहन करना होगा (धारा24 की उप-धारा5 के तहत) ।

13. यहाँ ऊपर अभिलिखित कारणों से, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2004 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। राजस्थान के किशनगढ़ के अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट) द्वारा लिए गए संज्ञान के आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

14. हमने प्रतिद्वंद्वी दलों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

15. हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि उस तारीख को जब अजमेर, राजस्थान के न्यायिक और मुंसिफ मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) द्वारा 04.02.1995 को संज्ञान लिया गया था, नमूने की निधानी आयु जून, 1994 में पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इस मामले के उपर्युक्त दृष्टिकोण में, हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान अपील उन्हीं शर्तों में स्वीकार करने योग्य है जैसा की 28.04.2016 को विनिश्चित मैसर्स नॉर्दर्न मिनरल्स लिमिटेड और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 1034/2005) में किया गया था।

16. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील उन्हीं शर्तों में स्वीकार की जाती है जैसा की मैसर्स नॉर्दर्न मिनरल्स लिमिटेड केस (उपर्युक्त) में किया गया।

न्यायाधीश (जगदीश सिंह खेहर)

न्यायाधीश (सी. नागप्पन)

नई दिल्ली;

28 अप्रैल, 2016.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।